न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 45/2010

मोहम्मद सिद्दीक पुत्र श्री मो0 इश्हाक जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

—वादी

बनाम

1. मुन्ना अली पुत्र श्री चांद खां जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादी कम 1:— श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 22.06.2010

निर्णय दिनांक : 06.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी परिवार के कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 4785 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 4787 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 किस्म बंजड स्थित है। जिस पर वादी बअर्सा 19 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त है। इससे पूर्व वादी के पिता व दादा 15 वर्षो से लगातार काश्तकारी करते चले आ रहे है। वादी परिवार भूमिहीन होने से कब्जा काश्त की आराजी को राजकीय नियमानुसार स्वयं के नाम सशुल्क नियमन करवाने और स्वयं को विवादित आराजी पर खातेदर घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी परिवार आज तक सन् 1991 से प्रतिवर्ष विवादित आराजी पर काश्त कर प्रतिवादी कम 2 द्वारा किये नोटिस अन्तर्गत धारा कोलोनाईजेशन एक्ट के निर्णय अनुसार राजकीय कोष में जमा करवाता आया है। जिसकी विवादित आराजी से प्रतिवादी कम 1 का आज तक कोई सरोकार नही रहा है, प्रतिवादी कम 1 ने गुपचुप तरीके से राजस्व कार्मिको से मिलकर उक्त आराजी अपने नाम एलोट करवा ली है लेकिन प्रतिवादी कम 1 का उक्त आराजी पर आज दिनांक तक कब्जा नही रहा है। अतः निवेदन है कि इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादी की कब्जाशुदा विवादित आराजी खसरा नं0 4785 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 4787 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 किस्म बंजड माल सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां को सशुल्क नियमन करने की घोषणा की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.06.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को

वादी सम्मन तामील किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अभिभाषक श्री रामकृष्ण धाकड ने वकालत नाम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा दिनांक 28.10.2010 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पत्र वादी समस्त मद अस्वीकार है। एवं निवेदन किया है कि प्रतिवादी कम 1 अपने खाते की आराजी खसरा नं0 4787/5916 रकबा 0.40 है0 व खसरा नं0 4788/5917 की 0.40 है0 भूमि में काश्त करता है और विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है साथ ही निवेदन किया है कि वाद वादी खारिज किया जावें। प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 05.12.2018 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अवगत करवाया कि:–

1. वाद पत्र की बिन्दु सं0 1 में दर्ज आराजी को मौके पर स्थित होना स्वीकार है। शेष निजी पारिवारिक तथ्य अस्वीकार है।
2. वाद पत्र की बिन्दु सं0 2 अस्वीकार है।
3. वाद पत्र की बिन्दु सं0 3 अस्वीकार है।
4. वाद पत्र की बिन्दु नं0 4 आंशिक स्वीकार है। वादी का सिवायचक भूमि पर अतिकमण होना स्वीकार है तथापि वादी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होना अस्वीकार है।
5. वाद पत्र की बिन्दु नं0 5 में वादी का व्यक्तिगत पारिवारिक कथन होने से जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
6. वाद पत्र की बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है।
7. वाद पत्र की बिन्दु नं0 7 अस्वीकार है।
8. वाद पत्र की बिन्दु नं0 8 वादी की ओर से व्यक्तिगत जानकारी होने से अस्वीकार है।
9. वाद पत्र की बिन्दु नं0 9 अस्वीकार है।
10. वाद पत्र की बिन्दु सं0 10 व 11 कानूनी तथ्य होने से स्वीकार है।

<u>विशेष निवेदनः–</u>

यह है कि वर्तमान में ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 4785 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 4787 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 सिवायचक खाते में किस्म बंजड राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिस पर वादी मोहम्मद सिद्दीक पुत्र श्री मो0 इश्हाक जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल का मुताबिक पत्रावली में संलग्न नकल नोटिस धारा 91 एल0 आर0 एक्ट0 1956 वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009, वर्ष 2010 एवं नकल रसीद जुर्माना के आधार पर वादी मोहम्मद सिद्दीक पुत्र श्री मो0

[illegible] जाति मुसलमान का अवैध रूप से अतिक्रमण काश्त होना दर्शाया है। और इसी अतिक्रमण/देरीना प्रतिकूल कब्जे काश्त (एडवर्स पजेशन) के आधार पर दिये जाने खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः याचाहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से राजकीय भूमि जो वर्तमान में मुताबिक राजस्व रेकार्ड जो सिवायचक खाते में बंजड किस्म की भूमि है उस पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अविलम्ब याचाहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी कम 2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल के प्रकाश में वादी केवल कब्जे के आधार पर आराजी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं0 4785 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 4787 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 किस्म बंजड जो वर्तमान में सिवायचक खाते में किस्म बंजड दर्ज है को खाते दर्ज करवाना चाहता है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाय